

सेवामे,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
उपखण्ड कार्यालय—  
जिला—

आवेदन श्री ..... पिता श्री ..... जाति .....

निवासी ..... तहसील ..... उपखण्ड कार्यालय—

जिला— .....

विषय:- विशेष मूल निवास - (टीएसपी क्षेत्र) प्रमाण-पत्र जारी करने बाबतः;

महोदयजी,

प्रार्थी का श्रीमान् से निवेदन निम्न प्रकार है -

1. यह कि प्रार्थी श्रीमान् के क्षेत्राधिकार का मूल निवासी होकर सामान्य/अन्य दर्गा/अनुजाति/अनुजनजाति के अंतर्गत आता है।
2. यह कि साथ में सामान्य मूल निवास प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड की प्रति संलग्न है।
3. यह कि मेरे पिता/दादा के नाम वर्तमान सेटलमेन्ट की जमाबन्दी में अंकित कृषि भूमि की नकल संलग्न है।
4. यह कि मैं एवं मेरा परिवार व पूर्वज 1971 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र (टी एस पी) ग्राम/करबा- में निरन्तर से निवासरत होकर अन्य क्षेत्र में पालायन नहीं किया है।
5. यह कि मुझे पूर्व में श्रीमान् के कार्यालय से राजस्थान सरकार की अधिसूचना इतहत मूल निवास प्रमाण जारी किया गया था। किन्तु मुझे भारत सरकार की टीएसपी क्षेत्र हेतु जारी नवीन अधिसूचना 19.05.2018 के तहत विशेष मूल निवास प्रमाण की आवश्यकता है।
6. यह कि इस संबंध में वर्ष 1971 से पूर्व की जमाबन्दी नकल/मतदाता सूची/मालान/विजली कनेक्शन विल/राशनकार्ड/मतदाता परिवय/अन्य रिकॉर्ड प्रस्तुत हैं।

दिनांक :-

हस्ताक्षर प्रार्थी

सलग प्रति :-

01. मूल निवासी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
02. प्रार्थी/प्रार्थी के माता-पिता का परिचय पत्र की छायाप्रति।
03. मतदाता सूची 1966/1971 की छायाप्रति।
04. लोगोंपाल प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
05. वर्तमान रेल राशन कार्ड एवं राजस्थान रेलवे का ग्रामपत्र।

## शपथ पत्र

मैं ..... पिता श्री/पति श्री ..... जाति.....  
उम्र..... निवासी..... तहसील—..... जिला-  
की होकर निम्न शपथपूर्वक करता/करती हूं-

01. मैं शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि मैं शपथकर्ता ग्राम/शहर.....  
तहसील-..... जिला-..... राजस्थान का मूल निवासी हूं।

02. मैं शपथपूर्वक करता/करती हूं कि मैं शपथकर्ता व मेरे पिताजी/पति/ससूर विगत 45  
वर्षों से अधिक समय से उक्त पते पर निवास कर रहे हैं।

03. मैं शपथपूर्वक करता/करती हूं कि शपथकर्ता को मेरा खंय का/ पुत्र का /पुत्री का..  
.....(नाम) का विशेष मूल निवास प्रभाण-पत्र (टीएसपी) की  
आवश्यकता है अतएव जारी किया जावे मैं इसका दुरुपयोग नहीं करूँगा।  
अतः श्रीमान की सेवा में शपथ-पत्र पेश है।

दिनांक—

हस्ताक्षर शपथकर्ता

### सत्यापन

मैं ..... पिता श्री/पति श्री ..... जाति.....  
आयु..... साल, निवासी..... तहसील-..... जिला-..... राजस्थान  
का/की होकर सत्यापन करता/करती हूं कि उक्त शपथ-पत्र सही एवं सत्य है।

दिनांक—

हस्ताक्षर शपथकर्ता

01 मे ..... उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा सत्यापन  
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी  
 राजकीय रोदा ..... पद ..... पर कार्यरत हूँ। एवं मैं शपथ पूर्वक बयान  
 करता हूँ कि प्रार्थी/प्रार्थीया/श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री श्री  
 जाति ..... निवासी ..... को भली भाति जानता हूँ यह ..... वर्षो  
 उक्त निवास जिला- ..... राजस्थान मे निवास कर रहा/रही है। प्रार्थी का परिवार  
 यत 45 वर्षो से अन्य क्षेत्र से पलायन नहीं किया है अर्थात् स्थानीय निवासी है।

(हस्ताक्षर मय रील प्रथम उत्तरदायी व्यक्ति)

02 मे ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी  
 राजकीय रोदा ..... पद ..... पर कार्यरत हूँ। एवं मैं शपथ पूर्वक बयान  
 करता हूँ कि प्रार्थी/प्रार्थीया/श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री श्री  
 जाति ..... निवासी ..... को भली भाति जानता हूँ यह ..... वर्षो  
 उक्त निवास जिला- ..... राजस्थान मे निवास कर रहा/रही है। प्रार्थी का परिवार  
 यत 45 वर्षो से अन्य क्षेत्र से पलायन नहीं किया है अर्थात् स्थानीय निवासी है।

(हस्ताक्षर मय रील द्वितीय उत्तरदायी व्यक्ति)

नोट- आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज भी संलग्न करें -

- 01 आवेदक के दो नवीनतम फोटो जिसमे से एक फोटो आवेदन पत्र पर चिपकाए (रेटेप्ल नहीं करे) तथा दूसरी फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- 02 सबधित शपथ-पत्र (शपथ पत्र मे असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड सहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारवास एवं अर्थकदण्ड रो दण्डनीय है।)
- 03 सदस्य के अनुसार जो साह्य लागू हो उससे सबधित दस्तावेज।
- 04 उत्तरदायी व्यक्ति (सरसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/ राजपत्रिक अधिकारी/ लिङ्ग इन्डिया/ इन्डियन/ बिला परिषद सदस्य/ अरांजपत्रिन अधिकारी/ सदस्य विधायक, राज सेवक/ प्रतिनी/ महापौर नगर एवं नगर अध्यक्ष/ नगर निदेशक/ नगर प्रभारी/ निदेशक का प्रमाण पत्र जिस पर उसकी मोरर या ग्राम पंचायतीक विधि

## पटवारी पटवार हल्का रिपोर्ट

आवेदक का नाम - ..... पिता का नाम ..... जाति .....  
निवासी ..... पटवार मण्डल ..... तहसील- ..... राज0 में पिछले 45 वर्षों  
से अधिक समय से निवास कर रहा है। जिसके दस्तावेज /अभिलेख निम्नानुसार है-

01. विधानसभा मतदाता सूची वर्ष ..... विधानसभा क्षेत्र .....  
के भाग संख्या ..... कम संख्या ..... पर प्रार्थी के ..... का  
..... नाम दर्ज है।

02. राजस्व रिकॉर्ड में संवत् ..... की जमाबंदी के पटवार मण्डल .....  
के मौजा ..... खाता संख्या ..... पर किता ..... रकबा .....  
प्रार्थी के ..... श्री / श्रीमती ..... के नाम दर्ज है।

03. प्रार्थी के स्वयं / पिता / दादा का पक्का / कच्चा मकान ग्राम / करबा .....  
तहसील ..... में स्थित है और तकरीबन 45 वर्ष पूर्व बना हुआ है।

04. यह कि प्रार्थी द्वारा आवेदन के साथ स्वयं व पिता का आधार कार्ड की प्रति संलग्न  
दस्तावेज की है।

05. शैक्षणिक अध्ययन का प्रमाण-पत्र कक्षा 5 / 8 / 10 / 12

06. शपथ-पत्र स्व प्रमाणित।

07. अन्य विश्वसनीय अभिलेख प्रमाण पत्र-

उपरोक्त प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्रार्थी व प्रार्थीया का परिवार पिछले 45 वर्षों से अधिक  
समय से निवास कर रहा / रही है।

अतः मूल निवास प्रमाण-पत्र दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर पटवारी  
पटवार मण्डल....